

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 50 सन 2021

अनवान :-

1. दलीपदास पुत्र किशनदास जाति कामड साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री सजय कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 26.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 178/142 की कुल 1.2050 हैक् भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी की जाति राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण जाति मेधवाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी की सही जाति कामड है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी की गलत जाति राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी की जाति अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी की जाति कामड दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपनी जाति राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी की जाति संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया परोकार राज ने निवेदन किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 178/142 की कुल 1.2050 हैक् भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।

जिसमें प्रार्थी की जाति मेधवाल दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही जाति कामड है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी की जाति कामड दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की जाति गलत तौर से दर्ज हुई है इसलिये वादी अपनी जाति राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है जाति संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा भी प्रार्थी की जाति के सम्बन्ध में तस्दीक पेश की गई है प्रार्थी की जाति कामड है मजमे आम में भी प्रार्थी की जाति कामड होना व्यक्त किया गया

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों / मजके आम में ली गई जानकारी एव सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा जाति तस्दीक करने के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 178/142 की कुल 1.2050 हैक् भूमि में प्रार्थी की जाति मेधवाल दर्ज के स्थान पर कामड संशोधन की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान-2021

कैम्प कोर्ट - बिरकाली

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर
क्रमांक : राजस्व/रीडर/2021/278
दिनांक :- 26.10.21
तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :- प्रकरण अनवानी दलीपदास बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-
1. दलीपदास पुत्र किशनदास जाति कामड निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बनाम


प्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 178/142 की कुल 1.2050 हेक्ठर भूमि में प्रार्थी की जाति मेघवाल दर्ज के स्थान पर कामड संशोधन की जाती है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्टबिरकाली